भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3037

दिनांक 22 मार्च, 2022/01 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

सरकारी कार्यों में संस्कृत के प्रयोग में वृद्धि

†3037. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सरकारी कार्यों में संस्कृत के प्रयोग में वृद्धि का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संस्कृत अनुवादकों के लिए नए पद सृजित करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) और (ग): संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

(घ) और (ङ) : जी नहीं, महोदय।

******

अतारांकित प्रश्न संख्या 3037

संलग्नक

"सरकारी कार्यों में संस्कृत के प्रयोग में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 22/03/2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3037 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक

केंद्र सरकार तीन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति। इसके अलावा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के माध्यम से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई योजनाओं की सूची नीचे दी गई है।

1. संस्कृत, पाली / प्राकृत, अरबी, फारसी एवं अन्य शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार और महर्षि बदरायण व्यास सम्मान पुरस्कार की योजना।
2. अखिल भारतीय मेरिट संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (पाठशालाओं/महाविद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ कॉलेज के संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना)।
3. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय / शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता।
4. संस्कृत शिक्षण के लिए वित्तीय सहायता - पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए।
5. राज्यों के सरकारी स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता।
6. गैर सरकारी संगठनों /विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों / संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को वित्तीय सहायता।
7. व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के लिए वित्तीय सहायता।
8. सेवानिवृत्त/प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों (शास्त्र चुड़ामणि) की सेवाओं के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3037

संलग्नक

9. दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, पुनर्मुद्रण और संस्कृत पुस्तकों की थोक खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

10. 55 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन प्रख्यात संस्कृत विद्वानों के लिए सम्मान राशि।

11. अखिल भारतीय संस्कृत भाषण प्रतियोगिता।

12. संस्कृत शब्दकोश परियोजना -डेक्कन कॉलेज, पुणे

13. अष्टादशी (संस्कृत भाषा के विकास को बनाए रखने के लिए 18 परियोजनाएं)

*****